



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 29—नवम्बर 4, 2011 (कार्तिक 7, 1933)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29—NOVEMBER 4, 2011 (KARTIKA 7, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई, दिनांक 26 सितम्बर 2011

बैंपवि सं. आरईटी बीसी. 35/12.06.059/2011-12--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची से "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि." को हटाने का निदेश देता है, क्योंकि 29 जुलाई 2011 से उपर्युक्त बैंक ने बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है।

बी. महापात्र
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 20 सितम्बर 2011

एसबीडी क्र. 09/2011-12--एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक प्रो. वी. वेकट रमणा, प्लेट नं. 204, हाऊस नं. 6-3-1198, ईस्ट फेस होम्स, वामन

नाइक लेन, कुन्दन बाग, हैदराबाद-500016 को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के निदेशक पद पर दिनांक 21 सितम्बर 2011 से 20 सितम्बर 2014 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया
नई दिल्ली-110002, दिनांक 4 जुलाई 2011

नं. 13-सी.ए. (परीक्षा)/मई/2011-IV--इंस्टीट्यूट के सामानान्तर अधिसूचना नं.-13 सी. ए. (परीक्षा)/मई/2011 दिनांक 12 जनवरी, 2011, यह साधारण सूचना की एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम परीक्षा ग्रुप-1 पेपर-1 एकांउंटिंग जोकि दिनांक 03 मई, 2011 को हुआ था। उसी संदर्भ में कुमारी गिरिशमा नदीक क्रमांक 129394 की उत्तर पुस्तिका खो जाने के कारण परीक्षा रद्द की गई। कथित परीक्षा को पुनः 25 जुलाई, 2011 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 01.00 बजे तक होगी। परीक्षा केन्द्र दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया, 16/0 मीलर्स टैंक बेड एरिया, बंगलोर-560052 होगा। पहले से जारी किया गया प्रवेश पत्र मान्य होगा।

जी. सोमशेखर
अपर सचिव (परीक्षा)

संख्या ए-12(11)/4/2010-चि.4 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप धारा (1) और धारा 17 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम एतद्वारा सप्लाई चैन मैनेजर पद की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-**

- (i) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सप्लाई चैन मैनेजर भर्ती विनियम, 2010 कहे जायेंगे।
- (ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोज्यता :**

ये विनियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :**

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले आदि :**

उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

5. **पदों जिनके संबंध में सीधी भर्ती विहित की गई है उनके संबंध में चयन बोर्ड का गठन, चयन की प्रक्रिया आदि :**

(1) **चयन बोर्ड :**

(i) चयन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (क) भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव स्तर का अंशकालिक अध्यक्ष जिसे सचिव या महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सुस्पष्ट पूर्व-अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।
- (ख) भर्ती की जाने वाले अनुशासन/विशेषज्ञता से संबंधित एक विशेषज्ञ जिसे महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित विशेषज्ञों के पैनल में से, चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा।
- (ग) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभागीय विशेषज्ञ होगा। इन अधिकारियों के किसी कारणवश उपलब्ध न होने की स्थिति में महानिदेशक विभागीय प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य अधिकारी को नामित कर सकता है।

(ii) अंशकालिक अध्यक्ष की पदावधि सामान्यतः चयन बोर्ड के गठन की तारीख से एक वर्ष होगी। तथापि, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा उनकी पदावधि कम अथवा बढ़ाई जा सकती है।

(iii) अंशकालिक अध्यक्ष और चिकित्सा विशेषज्ञ, सरकार द्वारा विहित दरों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर महानिदेशक द्वारा नियत दरों पर यात्रा भत्ता, बैठक शुल्क आदि के हकदार होंगे।

(2) चयन की प्रक्रिया तथा रीति :

(क) अनुसूची में शामिल इस पद पर सीधी भर्ती, जहां भी, अनुप्रयोज्य हो सामान्यतः पात्र और सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी।

यदि भर्ती हेतु भिन्न तरीका अंगीकृत करना आवश्यक हो जाता है तो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात महानिदेशक द्वारा इसे अंगीकृत किया जा सकेगा। तथापि, भर्ती की रीति विज्ञापन में अधिसूचित कर दी जाने के पश्चात कोई अनुवर्ती परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(ख) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या का निर्णय अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा रिक्तियों की संख्या और विहित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आवेदकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(ग) आयु, अर्हता, अनुभव आदि की विहित अपेक्षाएं पूरा करने मात्र से ही आवेदक को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने अथवा विज्ञापित पद पर किसी प्रकार के दावे का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा।

(घ) आवेदनों के संबंध में विज्ञापन जारी करने तथा अध्यक्ष, चयन बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए आवेदनों के प्रक्रमण संबंधी समस्त कार्य महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(ङ.) चयन बोर्ड को आवश्यक सचिवीय सहायता, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

6. निरर्हता :

ऐसा कोई व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है : अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं।

7. ढील देने की शक्ति :

जहाँ निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा कालोचित हो तो वह अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात, कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध में ढील दे सकते हैं।

8. अपवाद :

इन विनियमों की कोई बात आरक्षणों, आयु सीमा में ढील और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समथ-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

(डॉ. सी.एस. केदार)

महानिदेशक

No. A-12(11)4/2010-Med.IV in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with sub-section (2A) of the said section and sub-section (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of **Supply Chain Manager** namely,

1. Short title and commencement: (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Supply Chain Manager Recruitment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application: – These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification and scale of pay:– The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedules annexed to these Regulations.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters etc.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. Composition of Selection Board, procedure of Selection etc. in respect of posts for which direct recruitment is prescribed:

(1) Selection Board:

(i) The selection Board shall consist of:-

(a) A part-time Chairman of the status of Secretary or Additional Secretary to the Government of India, who may be appointed by Secretary or the Director General, Employees' State Insurance Corporation, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.

(b) One expert from the discipline/ specialised field pertaining to which recruitment is to be made, who may be chosen by the Chairman Selection Board from the panel of experts maintained for the purpose by the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

(c) The Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation will be the department expert. In case, these officers are not available for some reason then Director General can nominate some other officer as the departmental representative.

(ii) The term of office of the part-time Chairman shall ordinarily be one year from the date of constitution of the Selection Board. His term may, however, be curtailed or extended by the Director General, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.

(iii) The part-time Chairman and the Medical Experts shall be entitled to traveling allowances, sitting fees etc. at such rates as may be fixed by the Director General from time to time, keeping in view the rates prescribed by the Government.

(2) *Procedure and manner of Selection:-*

- (a) Direct recruitment to the posts included in the schedule, wherever applicable, shall ordinarily be made on the basis of an interview of eligible and successful candidates.

In case, it becomes necessary to adopt a different mode of recruitment, the same may be adopted by the Director General after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation. However, once a mode of recruitment is notified in the advertisement, no change shall be made subsequently.

- (b) The number of candidates to be invited for interview shall be decided by the Chairman, Selection Board, keeping in view the number of vacancies and the number of applicants who satisfy the prescribed requirement.
- (c) Mere fulfillment of the prescribed requirement of age, qualification, experience etc. will not confer any right on the applicant to be called for interview or to any claim over the post advertised.
- (d) All work relating to issue of advertisement in respect of applications and processing of applications for submission to the Chairman, Selection Board will be handled by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
- (e) The Selection Board will be provided necessary Secretarial assistance by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

6. *Disqualification - No person :-*

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Director General may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Regulation.

7. *Power to relax:-* Where the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
8. *Savings:-* Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

C. S. KEDAR
Director General

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF SUPPLY CHAIN MANAGER W.E.S.I. CORPORATION											
NAME OF THE POST	NO. OF POSTS	CLASSIFICATION	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale (Rs.)	WHETHER SELECTED IN POST OR NON-SELECTED IN POST	WHETHER BENEFIT OF ADDED YEARS OF SERVICE ADMISSIBLE UNDER RULE 30 OF THE CCS (PENSION) RULES, 1972.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS	EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATIONS REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES	PERIOD OF PROBATION IF ANY	METHOD OF RECRUITMENT, WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE POSTS TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION TO BE MADE.
Supply Chain Manager	02* (2010) * (Subject to variation depends on workload)	Group 'A' (Gazetted/ Non-Gazetted)	Pay Band - 3 of Rs. 15000-39100 with Grade Pay of Rs. 5400	Not applicable	Not Applicable	Upto 35 years (Relaxable for employees of the ESIC and the Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) for SCST/OBC as per GOI Instructions	Essential Qualification: MBA with specialization in Supply Chain Management/ Logistics Experience: 3 years experience in Logistics Management speciality in Health Care/ Drug distribution ***	Not applicable	Two years for direct recruit	100% Direct Recruitment falling which by short term contract	Not Applicable

Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Jammu & Srinagar, Jammu & Kashmir, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep)

Note: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Director General in the case of the candidates belonging to SC and ST if, at any stage of selection, the Director General is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the required experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

IF A DPC EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION	CIRCUMSTANCES IN WHICH UPSC TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)	Not Applicable
1. Medical Commissioner, ESIC - Chairman	
2. DMC (Med), ESIC -Member	